अधिवार्षिकी आयु संशोधन अधिनियम

(1)

मध्यप्रदेश अधिनियम*

क्रमांक 20 सन् 2011

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, 2011

[दिनांक 2 मई, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 6 मई, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-अयु) संशोधन अधिनियम, 2011** है।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथास्थापित मूल नियम (फन्डामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन.- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 में, मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) के नियम 56 में,-

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

---

1. म.प्र. अधिनियम (क्र. 19 सन् 2000) विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना क्र. 5356-इक्कीस-अ (आ) दिनांक 14 जून 2000 द्वारा संशोधित। म.प्र. राजपत्र दिनांक 14 जून 2000 में प्रकाशित। यह संशोधन दिनांक 1 जनवरी 2000 से लागू।

* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 मई, 2011 को पृष्ठ क्र. 498 से 498 (3) पर प्रकाशित।

"(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ), (1-च), (1-छ), (1-ज), (1-झ), एवं (1-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु उपनियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ), (1-च), (1-छ), (1-ज), (1-झ), एवं (1-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा";

(दो) उपनियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1-क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगाः परन्तु उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न कोई शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा";

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा,किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहो हो बशर्ते, कि वह सम्बन्धित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो";

(तीन) उपनियम (1-ग) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) में, अंक "62" और शब्द "बासठ" जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "पैंसठ" स्थापित किए जाएँ और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की की गई वृद्धि दिनांक 31 अगस्त, 2010 से लागू हुई समझी जाएगी";

(चार) उपनियम (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"(1-ङ) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, उपनियम (1-ञ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी·

परन्तु उपनियम (1-ञ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी";

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय नर्स" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची-एक में, समूह "ग" परिचर्या सेवाएं के अन्तर्गत वर्णित एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्तें की वह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध 31 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(1-च) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय सम्बन्धी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय सम्बन्धित विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची -एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय सम्बन्धी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सा पद पर की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासकीय पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम 20 वर्ष तक चिकित्सा विधिक सम्बन्धी कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(1-छ) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप नियम (1-क), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के,

जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु उपनियम (1-क), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ''शासकीय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों मध्यप्रदेश शिक्षक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची-एक के अधीन ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह सम्बन्धित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध 16 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(1-ज) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ''शासकीय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 की अनुसूची-दो के अधीन में वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें

ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्तें कि वह सम्बन्धित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक 14 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(1-झ) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप नियम (1-क), (1-छ) एवं (1-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ''शासकीय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 की अनुसूची-दो के अधीन वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर या सहायक कर्मशाला अधीक्षक या वीडियोग्राफर या सिस्टम एनालिस्ट-श्रेणी-तीन या कैमरामेन या कलाकार (आर्टिस्ट) या सहायक शल्य चिकित्सक के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्तें कि वह सम्बन्धित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

''(1-ञ) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-ङ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगीः

परन्तु उपनियम (1-ङ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न कोई शासकीय नर्स, जिसके जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी'';

स्पष्टीकरण- इस खण्ड से प्रयोजन के लिए,''शासकीय नर्स'' से अभिप्रेत है,कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे

वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची एक में वर्णित पद पर नर्सिंग कालेज, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचानालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची-एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो,जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्तें कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव

\- - - - - -

(2)

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 2 सन् 2007

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2007

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)"; में दिनांक 25 जनवरी, 2007 को प्रथमबार प्रकाशित किया गया।]

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रक्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारम यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2007 है।

(2) यह 1 जनवरी, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाा- इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967(क्रमांक 29 सन् 1967) (जो सिमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम् के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 में, मूल नियम (फण्डामेंटल रूपल्स) के नियम 56 में,-

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक" के स्थान पर, शब्द "शासकीय शिक्षक, चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो तथा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हो, से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (1-क) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "या चिकित्सा" और त्रियक (अबलीक) चिह्न तथा शब्द "चिकित्सा" का लोप किया जाए;

(तीन) उपनियम (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"(1-ग) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन में अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गी है और इसमें ऐसा चिकितसा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह सम्बन्धित मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(1-घ) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची- एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (समान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी,, अध्यापन

चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकितस्क को छोड़कर) उस मास के, जिसमें वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवाविवृत्त हो जाएगाः

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा को कोई सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा अन्य दंत शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।"

\- - - - - -

(1)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 26 सन् 2013

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, 2013

[दिनांक 12 अगस्त, 2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 अगस्त, 2013 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश शासकीय (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम, 2013*** है।

* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 12.08.2013 को पृष्ठ क्र. 720 पर प्रकाशित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथास्थापित मूल नियम (फाण्डामेंटल-रूल्स) 56 का संशोधन.- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 में, मूल नियम (फाण्डामेंटल रूल्स) के नियम 56 में,

(एक) उपनियम (1) में, दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द "(1-झ) एवं (1-ञ)" के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द "(1-झ), (1-ञ), (1-ञ) एवं (1-ट)" स्थापित किए जाएँ;

"(दो) उपनियम (1-ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्-

"(1-ट) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रद्श कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 के अनुसार चिकित्सा बीमा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया कोई शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, और उसमें ऐसे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए गए हों, और जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कम से कम बीस वर्ष तक सेवा की हो बशर्ते कि वे मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखते हों।"

3. निरसन तथा व्यावृत्ति.- (1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव

- - - - -